मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : टीसी सं. 14/2074-7, मुथुट सेन्टर, पुन्नेन रोड, थिरूवंतपुरम–695 034, CIN No - U65922KL2010PLC025624, कॉर्पोरेट कार्यालय: 12/ए01, 13वां तल, परिनी क्रिसेन्जो, प्लाट सं. सी 38 और सी 39, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स–जी ब्लॉक (ईस्ट), मुंबई–400051 फोन नं. 022–62728517, ईमेल: authorised.officer@muthoot.com

परिशिष्ठ–IV [नियम–8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने मेसर्स मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से निम्न वर्णित उधारकर्ता/गारंटर/ओं को मांग सूचना जारी की थी। उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिन पूरे होने के बाद, ऋण लेने वाले उधारकर्ता/ओं/गारंटर/ओं राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा ऋण लेने वाले उधारकर्ता/ओं गारंटर/ओं और सर्व सामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने इस संबंध में उक्त अ ध्यादेश के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत उन्हें प्राप्त प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से निम्न वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं./ उधारकर्ता/सह–उधारकता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की दिनांक	कुल बकाया राशि (रू.) भविष्य का ब्याज लागू	कब्जे की दिनांक
1.	ऋण खाता सं. MHFLCONALW000005022662 1. श्री महेश प्रजापत पुत्र श्री प्यारे लाल, 2. श्रीमती मिथलेश पत्नी महेश प्रजापत, 3. श्री महेंद्र प्रजापत पुत्र श्री तारा चंद प्रजापत	27 मार्च, 2026	रु. 7,66,827.39/– 16 मार्च, 2026 तक	25 जून, 2026
	प्रत्याभूत संपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) का विवरण– संपत्ति स्थित खसरा सं. 97, ग्राम भूरे कलां पटवारी हल्का छिलोदी, तहसील रैनी और जिला, अलवर राजस्थान दिनांक 16.10.2024 श्र महेश द्वारा श्रीमती मिथलेश के पक्ष में पुरस्कार विलेख निष्पादित और उक्त उप पंजीयक रैनी अलवर, पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 218, पृष्ठ सं. 84, क्रम सं. 242403210101630 द्वारा पंजीकृत, मापक क्षेत्र 252.77 वर्ग गज का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन निम्न प्रकार : पूर्व : सड़क/निकास, पश्चिम: स्वयं की भूमि , उत्तर : अशोक की भूमि , दक्षिण: कमल सिंह का मकान			

विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं/गारंटर/ओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वह संपत्ति से कोई लेन–देन न करें संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार एक उपर्युक्त मांगी गई राशि और उस पर भविष्य के ब्याज के लिए मेसर्स मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 01 जुलाई, 2026 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, प्रति मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड

TATA POWER-DDL

टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम

रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली–110009

CIN No. U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट: tatapower-ddl.com

निविदा सूचना आमंत्रित

July 01, 2026

टाटा पावर–डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/धरोहर जमा राशि (रु)	बोली दस्तावेज की बिक्री	बोली जमा कराने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/ENGG/ENQ/200001967/26-27 Two Year Rate Contract for 11kV & LT associated works in PAN TPDDL, Delhi	339 Crs/ 5 Lacs	01.07.2026	22.07.2026;1500 Hrs/ 22.07.2026;1700 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध

website **www.tatapower-ddl.com**→Vendor Zone →Tender / Corrigendum Documents

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

AXIS FINANCE

(सीआईएन : U65921MH1995PLC212675)

एक्सिस हाउस, सी–2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई – 400025

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के अधीन और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत विस्तृत मांग सूचना ("मांग सूचना") पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसमें नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों) तथा सह– कर्जदार(रों) (सभी को एकलतः या सामूहिक रूप से "आबंधक" कहा गया है) से मांग सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि उसकी तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकाने की मांग की गई है। मांग सूचना की प्रति स्पीड पोस्ट ए.डी. और ईमेल से भेजी गई है, और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है, और उपरोक्त आबंधक(गण) यदि चाहें तो, किसी भी कार्यदिवस को सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता से उक्त प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार पुनः, उपरोक्त आबंधक को सूचना दी जाती है कि वे मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर, नीचे वर्णित राशि, उसके भुगतान तथा/अथवा एएफएल को अदा कर दें। ऋण के सम्यक् प्रतिभुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, उपरोक्त आंबध ने नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति एएफएल के पास बंधक रखी हैं।

ऋण खाता संख्या	आबंधक(कों)/कानूनी वारिस(सों) / कानूनी प्रतिनिधि(यों) का नाम	*नीचे वर्णित तिथि तक कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए की तिथि
SPLA0018422	1. मैसर्स बंसल मनीष एंड एसोसिएट्स (कर्जदार) 2. श्री मनीष बंसल (सह–कर्जदार–I/प्रतिभूति प्रदाता) 3. श्री शिव कुमार बंसल (सह–कर्जदार–II) 4. सुश्री संतोष बंसल 3. श्री शिव कुमार बंसल (सह–कर्जदार–III)	आईएनआर 5,89,94,878/– (केवल पाँच करोड़ नवासी लाख चौरानबे हजार आठ सौ अठहत्तर रुपये), 15 जून 2026 तक बकाया	13 जून 2026

प्रतिभूत आस्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण : निम्नानुसार अवस्थित संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर ए–590, इंद्र विहार, ब्लॉक–ए, वार्ड नंबर 17, कोटा – 324 005, राजस्थान, परिमाप 374.51 वर्ग मीटर, चौहद्दी : पूरब : 60 फीट रोड, पश्चिम : मकान नंबर ए–589, दक्षिण : 60 फीट रोड, उत्तर : मकान नंबर ए–591

*आगे ब्याज, मांग सूचना में अधिक स्पष्ट वर्णित दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि वहन किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि के साथ। यदि उपरोक्त आंबधक एएफएल को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो एएफएल ऊपर वर्णित प्रतिभूत आस्ति/अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत पूर्णतया आबंधक के खर्च और परिणामों के जोखिम पर कार्रवाई करेगा।

अधिनियम के तहत, उपरोक्त आबंधक को एएफएल की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, उपरिवर्णित प्रतिभूत आस्ति को बेचने, पट्टा पर देने या किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने की मनाही है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या तदधीन विरचित नियमावली के नियमों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास तथा/अथवा अर्थदंड का भागी होगा।

दिनांक : 01–07–2026
स्थान : कोटा, राजस्थान

कृते एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./– अधिकृत अधिकारी

Bandhan Bank

क्षेत्रीय कार्यालयः नेताजी मार्ग, एन.आर. मीठाखली सिक्स रोड्स, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–6,फोनः .+91–26421671–75

उधारकर्ताओं को मांग सूचना

नीचे उल्लिखित खाता एनपीए गैर–निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया है, और बंधन बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित उधारकर्ताओं को जारी किया गया मांग सूचना बिना तामील हुए वापस आ गया है। अतः, यह नोटिस आप सभी को तथा आम जनता को प्रकाशन के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

उधारकर्ता(ओं), गारंटरो के नाम और ऋण खाता संख्याएँ	गिरवी रखी गई संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि /एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	नोटिस चिपकाने की तिथि
श्री सत्य नारायण, श्रीमती सरोज देवी, श्री राम सिंह 90001094037398	प्लॉट संख्या 13, खसरा संख्या 591/0.51, मौजा केशावाना राजपूत, कोटपूतली, राजस्थान 303108 का वह समस्त भू–भाग या भूखंड, जो श्री राम सिंह के स्वामित्व में है, तथा जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: उत्तर दिशा में प्लॉट संख्या 12, पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या 13A, पश्चिम दिशा में रास्ता, तथा दक्षिण दिशा में अन्य भूमि स्थित है।	29 मई 2026/ 03 अगस्त 2025	रूपये 50,97,393.61/–	22 जून 2026

इस सूचना के माध्यम से आपसे यह मांग की जाती है कि आप बैंक का बकाया, साथ ही उस पर लगने वाला अतिरिक्त ब्याज, लागत और अन्य शुल्क, इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें। ऐसा न करने पर, बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत आगे की कार्रवाई करेगा। उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित संपत्तियों को वापस पाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा का उल्लेख है।

स्थानः राजस्थान, दिनांकः 01 जुलाई 2026, अधिकृत अधिकारी, बंधन बैंक लिमिटेड

SBI

आईटी–क्लाउड सॉल्यूशस, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी–सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614

शुद्धिपत्र सूचना

संदर्भ संख्या: IT Cloud Solutions/FY:2026-27/RFP/1463

दिनांक: 01.07.2026

आरएफपी संख्या: IT Cloud Solutions/FY:2026-27/RFP/1463 दिनांक 16.06.2026 के संदर्भ में शुद्धिपत्र – GEM/2026/B/7584813-C6 बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है. विवरण के लिए, कृपया **https://sbi.bank.in** पर प्रोक्योरमेंट न्यूज देखें.

उप महाप्रबंधक (आईटी–क्लाउड सॉल्यूशस)

एमएस फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड

MSFC

कॉर्पोरेट ऑफिस: 8वीं व 9वीं मंजिल, गेलेक्सी अवेन्यु, टोंक रोड, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान - 302015, **रजिस्टर्ड ऑफिस:** सी-81बी, चैतन्य मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान - 302001, फोन: 0141-4036554, ई-मेल: info@msfincap.com (CIN: U67120RJ2016PTC055220)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता **एमएस फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत मांग सूचना दिनांक 01.04.2026 जारी किया था, जिसके द्वारा ऋणीयों/जमानतदार/बंधककर्ता से यह अपेक्षा की गई थी कि वे नोटिस की तिथि/उक्त नोटिस की प्रप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर, निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार, खाते में बकाया राशि का पूर्ण भुगतान होने तक भविष्य के ब्याज सहित भुगतान करें:

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: MSLPAJM100035 **स्वर्गीय रामदेव सिंह चौहान (ऋणी),** लक्ष्मी (सह-ऋणी)	27 अप्रैल 2026 ₹ 2029561/- रु. बीस लाख उनतीस हजार पांच सौ इकसठ मात्र 27 अप्रैल 2026	भूमि व बिल्डिंग सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 12, ग्राम मशीना, ग्राम पंचायत दुमारा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर, राजस्थान, क्षेत्रफल 298.31 वर्ग गज, पूर्व : नर्सिंह/शंकर चीता का मकान, पश्चिम : रोड़ (आम रास्ता) व निकासी, उत्तर : सामुहिक गली व चौकी व निकासी, दक्षिण : रोड़ (आम रास्ता)	30 जून 2026
ऋण खाता सं.: MSLPNKT100118 **रामकिशोर यादव (ऋणी),** जगदीश यादव (सह-ऋणी), केशरी देवी (सह-ऋणी)	28 अप्रैल 2026 ₹ 2034474/- रु. बीस लाख चौंतीस हजार चार सौ चौहत्तर मात्र 28 अप्रैल 2026	भूमि व बिल्डिंग आवासिय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित आराजी खसरा नं. 2580, 2581, 2582, 2583, 2585, 2586, 2587, 2588 व 2589, गांव मऊ, तहसील-श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर, राजस्थान, क्षेत्रफल 363.11 वर्ग गज, पूर्व : सड़क (आम रास्ता), पश्चिम : मुरलीधर का प्लॉट, उत्तर : स्वंय भूमि, दक्षिण : स्वंय भूमि	30 जून 2026
ऋण खाता सं.: MSLPSIKA000073 **गोविंद सिंह (ऋणी),** काबुल (सह-ऋणी), विष्णु सिंह पोषवाल (सह-ऋणी)	27 अप्रैल 2026 ₹ 2055230/- रु. बीस लाख पचपन हजार दो सौ तीस मात्र 27 अप्रैल 2026	भूमि व बिल्डिंग आवासिय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित खसरा नं. 675, ग्राम पीपलखेड़ा, तहसील महवा, जिला दौसा, राजस्थान, क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर, पूर्व : स्वयं पथ (रास्ता), पश्चिम : शिवराम मुखराम का मकान, उत्तर : मंदिर, दक्षिण : कमल का मकान	30 जून 2026
ऋण खाता सं.: MSLPBHL100086 **शिव लाल गुर्जर (ऋणी),** गनी देवी गुर्जर (सह-ऋणी)	28 अप्रैल 2026 ₹ 2050994/- रु. बीस लाख पचास हजार नौ सौ चौरानवे मात्र 28 अप्रैल 2026	भूमि व बिल्डिंग आवासिय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 22, गांव छोटा गुढ़ा, ग्राम गुढ़ा, ग्राम पंचायत - संतोकपुरा, तहसील - मांडल, जिला - भीलवाड़ा, राजस्थान - 311304, क्षेत्रफल 3952 वर्ग फीट, पूर्व : सुखदेव C/O उदा गुर्जर, पश्चिम : बाबू लाल C/O लादू लाल, उत्तर : आराजी नं. 605, दक्षिण : रोड (आम रास्ता)	30 जून 2026
ऋण खाता सं.: MSLPSHM100063 **रामलाल (ऋणी),** माला राम यादव (सह-ऋणी), रमेश्वरी देवी (सह-ऋणी)	25 अप्रैल 2026 ₹ 2063064/- रु. बीस लाख तिरसठ हजार चौंसठ मात्र 25 अप्रैल 2026	भूमि व बिल्डिंग सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, खसरा नं. - 1408, 1409, 1425, 1426, 1427, गांव शिमरला जागीर, पटवार हल्का - शिमरला जागीर, तहसील - श्रीमाधोपुर, जिला- सीकर, राजस्थान - 332715, कुल क्षेत्रफल 469.33 वर्ग गज, पूर्व : स्वंय भूमि, पश्चिम : स्वंय पशु फार्म, उत्तर : शिमला जागीर से खेजरोली तक जाने वाली सड़क, दक्षिण : गिरधारी जी की भूमि	30 जून 2026

ऋणीयों/जमानतदार/बंधककर्ता द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणीयों/जमानतदार/बंधककर्ता को तथा सामान्य जन कों एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ग्रहण कर लिया है।
ऋणीयों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
ऋणीयों/जमानतदार/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि, आगे का ब्याज तथा खर्चों सहित एवं कुल भुगतान होने तक **"एमएस फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड"** के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः राजस्थान दिनांकः 30 जून 2026 **प्राधिकृत अधिकारी एमएस फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड**

ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

Truhome FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टॉवर, प्रथम तल, दरवाजा नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफा रोड, अलवरपेट, तेयनामपेट, चेन्नई–600018 मुख्य कार्यालयः लेवल 3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051 वेबसाइट : http://www.truhomefinance.in

भौतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रावधानों के तहत **ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 24 जून, 2026 पर **भौतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

[प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।]

कर्जदार का नाम एवं पता

ऋण खाता संख्या SBTHBWRA0000011 एवं STUHBWRA0000012
1. श्रीमती सरोज देवी पत्नी जय कुमार तोमर (कर्जदार)
प्लॉट नं. 10-के-15, पटेल नगर विस्तार, सांगानी प्लाईवुड के पास, भीलवाड़ा - (राज.)- 311001
2. श्री जय कुमार तोमर पुत्र ब्रह्मजीत तोमर (सह-कर्जदार)
प्लॉट नं. 10-के-15, पटेल नगर विस्तार, संगम प्लाईवुड के पास, भीलवाड़ा - (राज.)- 311001
एनपीए दिनांक- 05-03-2025

मांग सूचना के अनुसार देय राशि

11-03-2025 तक ऋण खाता संख्या SBTHBWRA0000011 और STUHBWRA0000012 के तहत रु. 14,68,389/- (रुपये चौदह लाख अड़सठ हजार तीन सौ नवासी मात्र) की राशि, साथ ही यहां उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज और अन्य व्यय आदि।
मांग सूचना की तिथि - 12.03.2025
भौतिक कब्जे की तिथि - 24.06.2026

बंधक संपत्ति का विवरण

यह सम्पत्ति मकान नंबर 10-के-15, पटेल नगर विस्तार, भीलवाड़ा (राजस्थान) में स्थित है। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 50.00 वर्ग गज है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - 30 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम - मकान नंबर 10-के-26, उत्तर - मकान नंबर 10-के-14, दक्षिण - मकान नंबर 10-के-16.

स्थान : भीलवाड़ा
तिथि : 24.06.2026

ह./-अधिकृत प्राधिकारी-ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा 'ए' क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560095, क्षेत्रीय कार्यालयः- जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (उ.प्र.)-201301
• शाखा जोधपुरः- प्लॉट नंबर 47, महादेव टॉवर, उमराव खान पेट्रोल पंप, स्कीम एलआईजी-3, न्यू कोहिनूर सिनेमा, चौपासनी रोड, बलदेव नगर, जोधपुर - 342003
• शाखा अजमेरः- एएम.सी. नंबर 32/3=32/3ए=369/28, ग्राउंड और पहली मंजिल, मार्टिंडेल ब्रिज के पास, ब्यावर रोड, अजमेर, राजस्थान - 305001
* संपर्क व्यक्तिः (1) श्री चैन सिंह गोयल, मो.: 9950437507; (2) श्री सौरभ गुप्ता, मो.: 8112269452; (3) श्री संजय शर्मा, मो.: 9983365566 (4) श्री अभिमन्यु सिंह राठौड़, मो.: 9056733167

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान नियम 8(6) और 9 के साथ पठित, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के अंतर्गत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी "जहाँ है जैसा है" तथा "जो है यही है" के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह- कर्जदार / गारंटर का नाम	दिनांक 13-2 नोटिस एवं मांग राशि	सांकेतिक/भौतिक कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) भारतीय रुपये में (आरक्षित मूल्य का 10%)	-ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाते का विवरण
1.	223276200000008	(1) श्री मोहम्मद रफीक पुत्र जहूर मोहम्मद (2) श्रीमती मोबिना बानो पत्नी मोहम्मद रफीक	20.07.2021 रु. 6,92,564/-	26.09.2023 (भौतिक कब्जा)	रु. 11,06,242.74 तिथि 28.06.2026	13.07.2026 को 02:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 6,16,000/-	रु. 61,600/-	22.07.2026 को 11:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप.	21.07.2026 को 4:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में जोधपुर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता संख्या 22011013462001, आईएफएससी **UJVN0002201** में भेजा जाना चाहिए।
	भूमि और भवन का समस्त भाग, यानी फ़्लैट नंबर एच 77/01, ग्राउंड फ़्लोर, जिसका एरिया 395 स्क्वेयर फीट है, जो प्लॉट नंबर 25, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और खसरा नंबर 177, 179/2 से 179/13, 59, 59/1, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2, गाँव तनवरा और भाकरासनी, तहसील लूनी, ज़िला जोधपुर - राजस्थान में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- सीमाएँ:- पूर्वः प्लॉट नंबर 64; पश्चिमः 30 फीट चौड़ा रास्ता; उत्तरः प्लॉट नंबर 76; दक्षिणः प्लॉट नंबर 78.										
2.	222121017000002O	(1) श्री महेंद्र पुत्र सोहन लाल (2) श्री सोहन लाल पुत्र गणेश (3) श्रीमती बीना देवी पत्नी महेंद्र	20.07.2021 रु. 8,51,319/-	15.11.2022 (भौतिक कब्जा)	रु. 12,75,453.46 तिथि 28.06.2026	13.07.2026 को 02:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 6,40,000/-	रु. 64,000/-	22.07.2026 को 12:00 बजे अप. से 01:00 बजे अप.	21.07.2026 को 4:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में अजमेर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता संख्या 22011013462001, आईएफएससी **UJVN0002201** में भेजा जाना चाहिए।
	भूमि और भवन का समस्त भाग, यानी पट्टा नंबर 33 वाली आवासीय सम्पत्ति, जिसका एरिया 47.33 वर्ग गज है, जो खसरा नंबर 3256 के हिस्से में, ग्राम पंचायत - सरधना, पंचायत समिति - पिसांगन, तहसील - सरधना और ज़िला - अजमेर - राजस्थान में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- सीमाएँ:- पूर्वः श्री शंकर का घर; पश्चिमः सड़क/7 फीट चौड़ी सड़क; उत्तरः सड़क/15 फीट चौड़ी सड़क; दक्षिणः सड़क/5 फीट चौड़ी गली।										
3.	222121003000000 1	(1) श्री श्रवण सिंह रावत पुत्र माई सिंह (2) श्रीमती रुकमा देवी पत्नी माई सिंह	31.07.2021 रु. 4,72,703/-	14.11.2022 (भौतिक कब्जा)	रु. 6,89,957.01 तिथि 28.06.2026	13.07.2026 को 02:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 8,61,000/-	रु. 86,100/-	22.07.2026 को 01:00 बजे अप. से 02:00 बजे अप.	21.07.2026 को 4:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष अजमेर शाखा में देय में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता संख्या 22011013462001, आईएफएससी **UJVN0002201** में भेजा जाना चाहिए।
	भूमि और भवन का समस्त भाग, यानी पट्टा नंबर 46 वाली सम्पत्ति, जिसका एरिया 293.33 वर्ग गज है, जो खसरा नंबर 523 के हिस्से में, ग्राम पंचायत - मायापुर, पंचायत समिति - पिसांगन, तहसील और ज़िला - अजमेर - राजस्थान में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- सीमाएँ:- पूर्वः सड़क (स्वयं का बाड़ा) / स्वयं की संपत्ति; पश्चिमः सड़क (स्वयं का बाड़ा) / स्वयं की संपत्ति; उत्तरः सड़क; दक्षिणः ग्राम पंचायत मायापुर।										
4.	223221013000001O	(1) गोविंद राम पुत्र देवी लाल (2) गोगा देवी पत्नी देवी लाल	20.07.2021 रु. 12,25,321/-	21.11.2023 (भौतिक कब्जा)	रु. 16,16,483.58 तिथि 28.06.2026	13.07.2026 को 02:00 बजे अप. पूर्व अनुमति लेकर	रु. 7,11,000/-	रु. 71,100/-	22.07.2026 को 3:00 बजे अप. से 04:00 बजे अप.	21.07.2026 को 4:00 बजे अप. तक	ईएमडी को 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में जोधपुर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए या आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता संख्या 22011013462001, आईएफएससी **UJVN0002201** में भेजा जाना चाहिए।
	भूमि और भवन का समस्त भाग, यानी फ़्लैट नंबर 32-सी-2, प्लॉट नंबर 32, खसरा नंबर 45, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है, जो राज श्री नगर योजना, बोरनाडा, लूणी, ज़िला जोधपुर-राजस्थान में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- सीमाएँ:- पूर्वः फ़्लैट नंबर 52-सी-1; पश्चिमः 40 फीट चौड़ी सड़क; उत्तरः फ़्लैट नंबर 32-सी-1; दक्षिणः फ़्लैट नंबर 31-सी।										

नियम एवं शर्तें:- ई-नीलामी **"जहाँ है जैसे है" तथा "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है"** के आधार पर आयोजित की जा रही है।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति पर होने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली लगाने से पहले संपत्ति और विनिर्देश का निरीक्षण करना और खुद को संतुष्ट करना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित स्थलों पर करने की अनुमति होगी।
3. इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. ई-नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता - मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति - प्रभाकरन एम. (मोबाइल नंबर 7418281709)। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर संपत्तियों के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com** या **https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाएँ तथा बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर - 7291918824,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडीः- **support@bankeauctions.com**, नीलामी पोर्टल - **https://www.bankeauctions.com** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले/प्रस्तावित व्यक्ति को बेची जाएगी, बशर्ते कि प्रतिभूत लेनदार, यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली स्वीकार कर ली जाए। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो अधोहस्ताक्षरी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा, जिसमें पहले से भुगतान की गई ईएमडी समायोजित की जाएगी तथा बिक्री मूल्य का शेष 75% बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले या किसी भी मामले में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में सहमत 3 महीने से अधिक नहीं, की विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्तावी द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी तथा डिफॉल्टर क्रेता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन अप्रत्याशित घटना खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन लघु वित्त बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा, ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैक-अप आदि कर लें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
9. यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी अनुसूची के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारो/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

दिनांक: 30.06.2026, स्थान: जोधपुर/अजमेर (राजस्थान) प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

Government of India

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
B-215& B-216, "ARANYA BHAWAN",JhalanaInstitutional Area, Jaipur-302004
Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office-jaipur)

To, Online Proposal No.: FP/RJ/PetrolPump/569996/2026 Dated: 05/06/2026
Additional Chief Secretary (Forest and Environment) Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan)
Subject: Proposal for diversion of 0.2053 ha of forest land for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet Between KM Stone Chainage No. – 435/508 to 435/543 (RHS) on NH-11 in New Khasra No.-2641/2638 (Old kh No- 2620/2601) At Village-Ratangarh Tehsil–Ratangarh, District –Churu (Rajasthan) in favour of Manager(Retail Sales), Indian Oil Corporation Limited, Jaipur Divisional Office, 1st Floor LIC Building Phase-II Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road Jaipur (Rajasthan)-reg
Sir/Madam,
I am directed to refer to the online proposal no. FP/RJ/PetrolPump/569996/2026. dated 21/02/2026 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section' 2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Office as per extant rules and regulation. After the examination, I am directed to convey the "In-Principle/Stage-I" approval of the Central Government under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the Proposal for non-forestry use of 0.2053 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s INDIAN OIL CORPORATION LTD for Churu Territorial Division in Forest Division, District CHURU (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following conditions:1. General Conditions:-1.1 Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged; 1.2 The total forest area utilized for the project shall not exceed 0.2053 Ha and the forest area diverted shall not be used for any purpose other than those shown in the diversion proposal; 1.3 The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years; 1.4 The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard; 1.5 At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India; 1.6 All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned; 1.7 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required; 1.8 The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar; 1.9 The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report; 1.10 No labour camp shall be established on the forest land; 1.11 The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff [illegible]

Yours faithfully (Balaji Kari)
Assistant Inspector General of Forests (AIGF) Regional Office, Gandhinagar MoEF&CC, Govt of India

Government of India

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
B-215& B-216, "ARANYA BHAWAN", JhalanaInstitutional Area, Jaipur-302004
Regional Office, Gandhinagar (Sub Regional Office-jaipur)

To, Online Proposal No.: FP/RJ/PetrolPump/571278/2026 Dated: 18/05/2026
Additional Chief Secretary (Forest and Environment) Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,Vaniki Path, Near Secretariat Jaipur-302005 (Rajasthan)
Subject: Proposal for diversion of 0.1435 ha of forest land for construction of approach access for Nayara Energy Limited Retail Outlet on Agra-Jaipur (NH-21) between KM. chainage no 152+145.50 to 152+180.50, (R.H.S.) at Village-Sikandra Tehsil-Sikrai, District - Dausa (Rajasthan) in favour of Territory Sales Manager, Nayara Energy Limited, Jaipur, Rajasthan-reg
Sir/Madam,
I am directed to refer to the online proposal no. FP/RJ/PetrolPump/571278/2026 dated 05/03/2026 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government [illegible]

Yours faithfully (Balaji Kari)
Assistant Inspector General of Forests (AIGF) Regional Office, Gandhinagar MoEF&CC, Govt of India